



प्रेस विज्ञप्ति
24.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के.के. श्रीवास्तव के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत धन शोधन का अपराध किए जाने के संबंध में दिनांक 23.09.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

इसके अतिरिक्त, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22.09.2026 को अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करते हुए 3.25 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने रायपुर के तेलीबांधा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर तथा तत्पश्चात छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा के.के. श्रीवास्तव एवं अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित अपराधों के लिए दायर आरोप-पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि जून 2023 में के.के. श्रीवास्तव ने मेसर्स रावत एसोसिएट्स के प्रोपराइटर को झूठा विश्वास दिलाकर 15 करोड़ रुपये देने के लिए प्रेरित किया कि लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना सब-कॉन्ट्रैक्ट के लिए उपलब्ध है और उक्त राशि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में आवश्यक है। इसके बाद 15 करोड़ रुपये की राशि पांच बैंक खातों में स्थानांतरित की गई, जिनका विवरण व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। जांच में पता चला कि ये बैंक खाते कथित खाताधारकों की जानकारी के बिना धोखाधड़ीपूर्वक खोले गए थे तथा संबंधित संस्थाएं अपने पंजीकृत पतों पर अस्तित्व में नहीं पाई गईं।

जांच में आगे पता चला कि अपराध से अर्जित आय को शेल और कंड्यूट संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से लेयर किया गया तथा अंततः फर्जी वाणिज्यिक विवरणों, जिनमें मालभाड़ा शुल्क और कंटेनर लीजिंग शामिल थे, के तहत दुबई (यूएई), हांगकांग, चीन और सिंगापुर स्थित लाभार्थियों को भारत से बाहर प्रेषित किया गया। 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई राशि में से 3.40 करोड़ रुपये की राशि दूषित एवं लेयर की गई धनराशि से पीड़ित को वापस की गई और इसे वास्तविक पुनर्भुगतान के रूप में दर्शाया गया, जबकि 11.60 करोड़ रुपये की राशि वापस नहीं की गई।

जांच के दौरान कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत 30.07.2026 को गिरफ्तार किया गया। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उसे ईडी की हिरासत में भेज दिया।

विधिसम्मत प्रक्रिया के पश्चात, दिनांक 22.09.2026 के पीएओ के माध्यम से 3.25 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। के.के. श्रीवास्तव के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन चलाए जाने हेतु दिनांक 23.09.2026 को अभियोजन शिकायत दायर की गई है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।